पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

वागदरी

गाँव - वागदरी

पंचायत - खेमपुर

तहसील - दोवड़ा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - इस गाँव का इतिहास करीब साल 200 पुराना है, गाँव में लोग भराई पाल से आकर वागदरी में आकर बसे। इस क्षेत्र में बहुत संख्या में बाघ पाए जाते थे इसलिए इस गाँव का नाम वागदरी रखा गया। यहाँ होली और दीपावली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।

गाँव का एक परिचय - वागदरी जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 40 किलोमीटर दूर गाँव बसा है। वागदरी की ग्राम पंचायत खेमपुर है । खेमपुर पंचायत में चार गाँव - वागदरी, खेमपुर, भचडिया, तोरनिया है । जिनमें वागदरी खेमपुर पंचायत का एक राजस्व गाँव है जिसमे सिन्द्रा फला, मनात फला, ओनाली फला, लाम्बीडूंगरी फला, कोदरी फला है । वागदरी गाँव के किनारे से सोम नदी बहती है और एक बरसाती नाला बहता है । गाँव के फले एस.टी., एस. सी. की जाति के अनुसार बने है । ज्यादातर घर गाँव में एस.टी. जनजाति के है जिनमे रोत, परमार, मनात प्रमुख है । अन्य पिछड़ा वर्ग में यादव, कलाल समाज और ढोली समाज के लोग रहते है। गाँव का कुल रकबा 2679 बीघा है जिसमें कृषि भूमि 1339 बीघा, चरागाह 14.18 हेक्ट है। गाँव में कुल 400 घर है जिसकी जनसंख्या लगभग 2200 है । गाँव के लगभग 300 घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। गाँव में सरकारी राशन की दुकान नहीं है वह पड़ोस के गाँव सवगड में है। राशन की दुकान से मात्र गेहूं मिलता है। पहले चावल, चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। अब यह त्यौहार आने पर ही दिया जाता है।

गाँव में शिलालेख 05 जनवरी 2018 को और गाँव सभा का गठन भी उसी दिन सभी की सहमति से कर दिया गया । हमेशा एक निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है । गाँव के लोगों की पेसा कानून के बारे में कुछ-कुछ समझ बन पाई है। वागदरी गाँव का पोस्ट ऑफिस खेमपुर गाँव में और पुलिस थाना दोवडा में है ।

आवागमन की स्थिति -वागदरी गाँवजाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से फलोज बस स्टैंड तक बस मिल जाती है उसके बाद ऑटो, बस से खेमपुर बस स्टैंड तक जाया जाता है, गाँव में केवल ऑटो या मोटरसाइकिल से ही जाया जा सकता है । वागदरी जाने वाली रोड पूरी तरह से टूट गयी है जिस वजह से ऑटो वाले भी कई बार जाने से मना कर देते है । कई बार लोग चार-पांच किलोमीटर पैदल चलकर अपने-अपने घरों को जाते हैं। गाँव के फलों में जाने के 5 सी.सी. रोड़ है और 5 कच्ची सड़क है । जहाँ से फिर ज्यादातर लोगों के घरों तक आने जाने के लिए पगडण्डी है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में बीमार लोगों के इलाज के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन सही व्यवस्था नहीं है । गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डूंगरपुर 40 किमी दूर जाना पड़ता है।मरीजों को घर से ऑटो में लिटा कर मुख्य सड़क तक लाया जाता है फिर खेमपुर से 108 एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाना पड़ता है ।

गाँव में 3प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें लगभग सौ बच्चे और अध्यापको की संख्या 3 हैं।इसके अलवा 1 सेकंडरी स्कूल है जहाँ 350 छात्रों पर 8 अध्यापक है । डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को डूंगरपुर

जाना पड़ता है। गाँव में बीमार पालतू पशुओ के लिए पशु चिकित्सालय नहीं है इसके लिए 12 किलोमीटर दूर फलोज आना होता है ।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

आवागमन की कमी -वागदरी गाँव में आवागमन की बहुत समस्या है क्योंकि कहीं आने जाने के लिए बस या ऑटो खेमपुर से मिलते है । जिसके लिए कम से कम 4 - 5 किमी पैदल चलना पड़ता है या फिर स्वयं की मोटरसाइकिल से जाना होता है । गाँव की सड़के भी खस्ता हाल है । खेमपुर से आगे कही भी जाने के लिए जो भी साधन मिलता है वह भी पूरा भर जाने के बाद ही चलता है, मजबूरी में घंटों इन्तजार करना पड़ता है जो गाँव वालों की आदत बन चुकी है। वागदरी जाने के लिए एक ओर पक्की सड़क है जो की पड़ोस के रतनपुरा गाँव से तोरनिया होती हुई वागदरी में आती है, गाँव के लोग लम्बा रास्ता होने के बावजूद इसका इस्तेमाल करते है क्योंकी यह सही हालत में है । मुख्य रोड़ के टूटा हुआ होने से गाँव के अंदर तक आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते के अभाव से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव के दक्षिण - पश्चिम दिशा में बड़े पहाड है । इनके नीचे की ओर घाटी में कुछ समतल जमीन है, बाकी छोटी पहाडियां, ढलानें, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली जमीन है। गाँव के पहाड़ सूखे व नंगे है उनमे पत्थर है लेकिन इसका खनन नहीं किया जाता है । बाकी छोटी पहाडियों पर कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। लोगो को उनकी जमीन का पट्टा नहीं मिला है जिससे कभी भी सरकार उनकी जमीन छीन सकती है। गाँव के जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा है । जंगल में बबूल के पेड़ बहुतायत है जो किसी काम नहीं आते है इसलिए लोगो में भी उसे लेकर कोई विशेष रूचि नहीं है । वे इसको सरकार और वन विभाग की सम्पति मानते हुए गाँव से बाहर मानते है । लोगो में वृक्षारोपण के प्रति भय हैं की जिस तरह से जंगल पर वन विभाग का कब्जा कर लिया है उसी तरह अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारी जमीन को भी वन विभाग कब्जे में कर लेगा जिसके चलते वृक्षारोपण के प्रति उनकी उदासीनता है। गर्मी के मौसम में गाँव में पानी का संकट बढ़ जाता है । हैंडपंप, कुएं, बोरवेल सभी में पानी लगभग ख़त्म हो जाता है । पीने के पानी को दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है। गाँव में 2पक्के एनीकट बने है लेकिन उसमे बरसात के बाद पानी नहीं ठरहता है क्योंकी गाँव के लोग बोरवेल से पानी खीच लेते है । गाँव में 7 छोटे बड़े तालाब है। लेकिन उचित भू-जल संरक्षण की नीति न होने से पानी सूख जाता है और भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा । मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं।

कृषि - पशुपालन एवं रोजगार की स्थिति -गाँव में कृषि मौसम पर निर्भर है क्योंकी सिंचाई के लिए पानी की कमी है । इसके साथ ही लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती की जमीन है। गाँव में समतल जमीन नहीं के बराबर है । बारिश के अलावा वे ही लोग फसल उगा पाते है जिनके पास निजी बोरवेल है । गाँव में मक्का, उड़द, मुग, चना, और बोरवेल के पानी से धान और गेहूं पैदा

करते हैं। जिनके पास समतल जमीन है और वह भी गेहूं और चना पैदा कर पाते है । पैदा होने वाला अनाज 4 से 6 महीने खाने भर का हो जाता है। खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम होती है कि परिवार की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है । नरेगा में 100 दिवस काम नहीं मिलता है और 90 से 110 रु. मजदूरी मिलती है। बेरोजगारी और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। जहाँ कडिया काम मिल जाता है । जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रूपए दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पशुपालन में लोग गाय भैंस बैल बकरी इत्यादि पालते हैं लेकिन देसी नस्ल होने के कारण उनसे भी दूध मात्र बच्चों के पीने भर का ही होता है। पशुओ के लिए चारा भी बारिश में होता है, चारा बाजार से खरीदते है जो 5 - 7 रूपए प्रति पुली भाव से मिलता है ।

सरकारी योजनाओ की स्थिति

गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, आवास, शौचालय, राशन, उज्ज्वला गैस, श्रमिक कार्ड, मनरेगा में सौ दिन काम, पूरी मजदूरी एवं समय से मजदूरी का भुगतान नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण उनकी योजनाओ के प्रति अनभिज्ञता और सरकारी विभागों तथा गाँव के जनप्रतिनिधियों में व्याप्त भ्रष्टाचार हैं। बड़ी परेशानी उन गाँव वालों को होती है जिन्हें उज्ज्वला गैस नहीं मिली है और उनका मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया गया है । उन लोगों के लिए यह स्थिति नहीं है जो बाजार से 70 रु. प्रति लीटर मिट्टी का तेल खरीद सकें। गाँव में 100 घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, उनको रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती है। अँधेरे में रात को बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। पेंशन पाने की उम्र हो जाने पर भी लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है। न तो उनका कोई आवेदन करने वाला है न ही कोई उम्र संशोधन करवाने वाला। मनरेगा में लोगों का आवेदन तो होता हैं लेकिन आवेदन की रसीद नहीं देते हैं जिसके कारण उनको 100 दिन का काम नहीं मिल पाता है।मस्टर-रोल में फर्जी नाम डाल देने से उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। 100 दिन काम नहीं मिलने से श्रमिक कार्ड से भी लोग वंचित हो जाते हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नदी नाला तालाब एनिकट कुआं	गाँव के किनारे से सोम नदी जाती है । एक बरसाती नाला है जो बारिश में ही चलता है । कुल 7 छोटे बड़े तालाब और 2 एनिकट है जिनमे बरसात में पानी भरा रहता	सोम नदी से नहर निकल कर सिंचाई के लिए पानी दिया जा सकता है । नाले और पहाडियों से बारिश का पानी बहने से रोकने के लिए एनीकट तक चेकडैम बनाना ।

बोरवेल हैंड पंप	है । तालाब कम गहरे होने से पानी सूख जाता है । गाँव में जितने भी कुए है उनमे से ज्यादा तो गर्मी में सूख जाते है । गाँव के कुछेक लोगो ने अपने निजी बोरवेल करवा रखे है । जो 300 फीट गहरे है । जिनमें भी गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जाता है । गाँव के आधे से ज्यादा हैंडपंप गर्मी में सूख जाते है ।	ताकि नदी, नाले और एनिकट के पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सके। गाँव के तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत करके तालाब भी पूरे वर्ष तक पानी रोका जा सकता है।नाले और तालाब में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊंचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी की उपलब्धता संभावना बढ़ जाएगी। तालाब के गहरीकरण से मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल की बजाय कूओ से पानी निकालने पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह जंगल	गाँव की जमीन उबड़-खाबड़ और पथरीली है । बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। बहुत कम जमीन सिंचित है, बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। जंगल पर वन विभाग का कब्जा होंने से गाँव बर्बाद हो गया है । जंगल की जमीन पर केवल कटीले बबूल है ।	गाँवकी उबड़-खाबड़ और पथरीली जमीन को समतलीकरण करवाकर उपयोग में लेना । खाली जमीन जिस अभी कटीली झाडिया है उन्हें हटाकर फलदार वृक्षारोपण, और खेती योग्य बनाना । चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने, उन्नत कृषि तकनीकी उपयोग और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। जंगल में उगी झाडिया और बबूल

		को हटा कर लघु वन उपज के लिए आम, गोंद, बांस, कीकर, आवला मधुमक्खी पालन भी आय के साधन के रूप में अपना सकते है । जिससे गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है।
पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी	गाँव में लोग गाय, भैंस, बैल तथा बकरी और मुर्गीपालन भी करते हैं। लेकिन पशुओं के लिए होने वाला चारा खेती में होता है जो मार्च-अप्रैल माह तक खत्म हो जाता है। इसके बाद लोगों को पशुओ के लिए चारा खरीदना पड़ता है। यह काफी महंगा मिलता है । केवल बरसात में चारे की समस्या से राहत रहती है । पौष्टिक चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। चारे की कमी के साथ-साथ अच्छी नस्ल भी नहीं होना दूध कम देने का कारण है। गाँव के पहाड़ में बारिश के समय भी इतनी अधिक मात्रा में चारा नहीं होता है । मार्च के बाद गाँव के लगभग सभी लोगों को चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है ।	बेहतर नस्ल की मुर्गी और बकरीपालन से इनके दूध-खाने का भी बंदोबस्त सकता है, इन्हें बाजार में बेच कर आय की जा सकती है । पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों और बेकार पड़ी जमीन से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है। इसके लिए गाँव के लोगों को सामूहिक रूप से बैठकर अपनी सहमति से कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है और पशुपालन से लोगों के आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं।
पहाड़	पहाड़ में अच्छी मात्रा में पत्थर है । लेकिन इसका खनन नही होता है । इसके अलावा अन्य किसी भी खनिज के मिलने जानकारी नहीं है।	गाँव सभा के प्रयास करके आवश्यकता के अनुसार खनन किया जा सकता है और उससे होने वाली आय कों गाँव के विकास कार्यो में लगाया जा सकता है ।

गाँव सभा द्वारा चयनित समस्याएं -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	पक्के रास्ते गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपयोग में नहीं लेने से जल्दी ही टूट गये है । सी.सी. और कच्चे रास्ते भी उपेक्षा के शिकार है । एक बार बनाने के बाद टूटने पर पेचवर्क न होना । टूटे हुए रास्तों से मिटटी कंकड़ उड़ते है जो राहगीरों कों चोट और नुकसान पहुचाते है । सबसे ज्यादा तकलीफ बीमार लोगो और गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में होती है ।	टूटी हुई सडको की समस्या से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोग इसे वरीयता देते हुए पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में जोड़ने पर जोर देंगे ।	**तात्कालिक**
2	**शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक पूरे नहीं है । जिस कारण बच्चों की संख्या भी कम है । पढाई का स्तर भी काफी निम्न है ।	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक करके विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के प्रस्ताव लिए गए हैं और इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन देकर वार्तालाप किया जायेगा ।	**तात्कालिक**
3	**कृषि समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है । उबड़	खेत का समतलीकरण।	**तात्कालिक**

			खाबड़ पथरीली जमीन और छोटी पहाड़ियों और उन्नत किस्म के बीजो तथा अच्छी खाद के अभाव में खेती का उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है।	बरसात के पानी को रोकने के लिए पहाडियों पर चेकडेम निर्माण और तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करना। उन्नतशील बीज और खाद की उपलब्धता के साथ खेती के जमीनों की उर्वराशक्ति को बढ़ाना।	
4	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	गाँव में लोगो को उनकी कब्जे की जमीन का पट्टा नहीं मिला है जिनके पास है वो भी बहुत कम जमीन है । जिसमे खेती से परिवार का गुजारा मुस्किल से होता है । पट्टे न मिकलने से गाँव वालों कों भविष्य में अपनी जमीन के छीन जाने का डर है । गाँव में चारागाह और बिलानाम जमीन पर सरकार का कब्ज़ा है ।	गाँव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज है उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा	**दीर्घकालिक**

				कराया जाएगा और जिन के पट्टे मिल गए हैं उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है।	
5	**आवास एवं शौचालय निर्माण और उसके भुगतान संबंधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	आवास और शौचालय बन गये है और उनके फोटो भी ले लिए गये है लेकिन भुगतान की दूसरी और तीसरी क़िस्त बहुत से लोगो की बाकी है। इसमें भी बिचौलिये लोग रुपये दिलाने के लिए कमीशन मांगते है ।	गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है।	**तात्कालिक**
6	**पेयजल की समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में जल संरक्षण न करना और भूजल स्तर नीचे जाने संकट बढता जा रहा है ।	समाधान बरसात के पानी को पूरे वर्ष नाले और तालाब, एनिकट में रोकने की योजना बनाना बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - पक्की सड़कें सी.सी. सड़के कच्चे रास्ते	टूटे हुई पक्की और सी.सी. सडको कों ठीक नहीं करना । कच्चे रास्ते को सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं बीमार, गर्भवती महिलाओ, स्कूल जाने वाले बच्चों कों आसानी हो जाएगी । छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव कमेटीयों का मजबूत ना होना । सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नाला तालाब एनीकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव में नाला, तालाब, एनिकट, नहर में पानी बरसात के बाद दो माह ही रहता है । फिर सूख जाता है । यही हाल अन्य जल स्त्रोतों के है की कुओं, हैंडपंप और बोरबेल में भी पानी ग्रीष्म ऋतु में ख़त्म हो जाता है । पानी का लेवल 300 फीट गहराई में चला गया है । पेयजल फ्लोराइड से दूषित है ।	गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं। पेयजल के लिए गाँव में आर.ओ. प्लांट लगाया जा सकता है ।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्य योजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	नरेगा और खेती के अलावा अन्य कोई आजीविका का साधन गाँव में नहीं है । लघु वन उपज ना होना, उन्नत बीज नहीं, कृषि उत्पादन कमी और अच्छी नस्ल के पशुओं	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती तथा जंगल को फिर से पुनर्जीवित करके आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।

	का अभाव। जंगल को पुनर्जीवित करने की योजना का आभाव।		

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा-

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन सम्बंधित प्रस्ताव	9
2	पी. एम. आवास सम्बंधित प्रस्ताव	87
3	शौचालय की बकाया राशि भुगतान सम्बंधित प्रस्ताव	4
4	चेकडेम सम्बंधित प्रस्ताव	57
5	तालाब गहरीकरण सम्बंधित प्रस्ताव	7
6	सड़क निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव कच्ची सड़क सी सी सड़क	 7 14

7	पशुबाडा निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	400
8	खेत समतलीकरण सम्बंधित प्रस्ताव	87
9	हैंडपंप नये व पुराने मरम्मत सम्बंधित प्रस्ताव	25
10	खेत तलावडी सम्बंधित प्रस्ताव	15
11	उचित मूल्य की दुकान सम्बंधित प्रस्ताव	1
12	नये कुएं खुदवाने व गहरीकरण सम्बंधित प्रस्ताव	33
13	आर. ओ. लगवाने सम्बंधित प्रस्ताव	6
14	खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुडवाने सम्बंधित प्रस्ताव	12

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

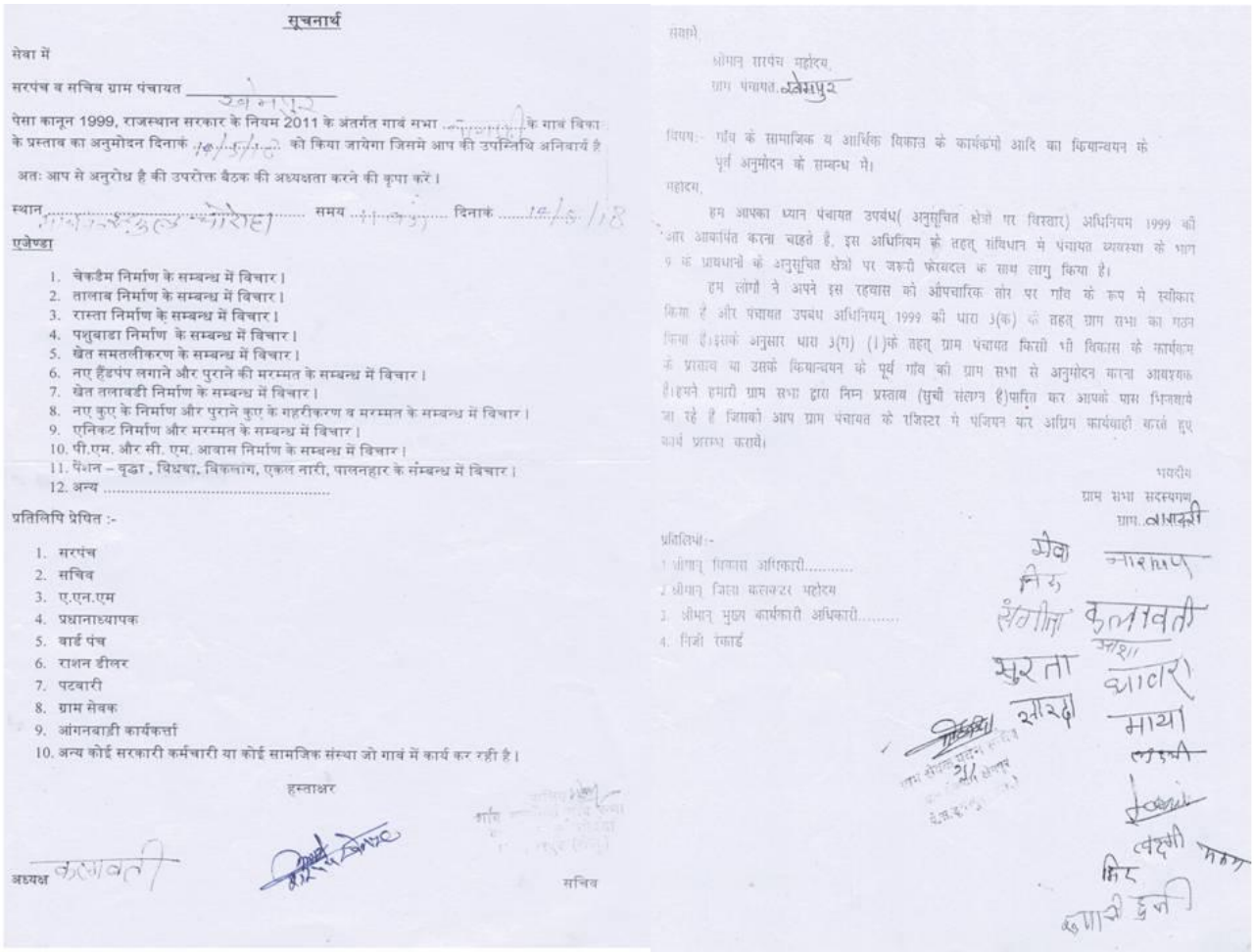

सूचनार्थ

सेवा में

सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत ....

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गावं सभा .... के गावं विका के प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक 10/5/18 को किया जायेगा जिसमे आप की उपस्थिति अनिवार्य है

अतः आप से अनुरोध है की उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता करने की कृपा करें।

स्थान .... समय .... दिनांक 10/5/18

एजेण्डा

1. चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
2. तालाब निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
3. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
4. पशुबाडा निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
5. खेत समतलीकरण के सम्बन्ध में विचार।
6. नए हैंडपंप लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
7. खेत तलावडी निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
8. नए कुए के निर्माण और पुराने कुए के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
9. एनिकट निर्माण और मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
10. पी.एम. और सी. एम. आवास निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
11. पेंशन – वृद्धा, विधवा, विकलांग, एकल नारी, पालनहार के संम्बन्ध में विचार।
12. अन्य ....

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सरपंच
2. सचिव
3. ए.एन.एम
4. प्रधानाध्यापक
5. वार्ड पंच
6. राशन डीलर
7. पटवारी
8. ग्राम सेवक
9. आंगनबाडी कार्यकर्त्ता
10. अन्य कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सामजिक संस्था जो गावं में कार्य कर रही है।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष कलावती

सचिव

सवाम,

श्रीमान सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत ....

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमो आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानो के अनुसूचित क्षेत्रो पर जरूरी फेरबदल क साथ लागु किया है।

हम लोगो ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके कियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन कराना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावे।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण,
ग्राम ....

प्रतिलिपि:-
1 श्रीमान् विकास अधिकारी..........
2 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी..........
4. निजी रेकार्ड

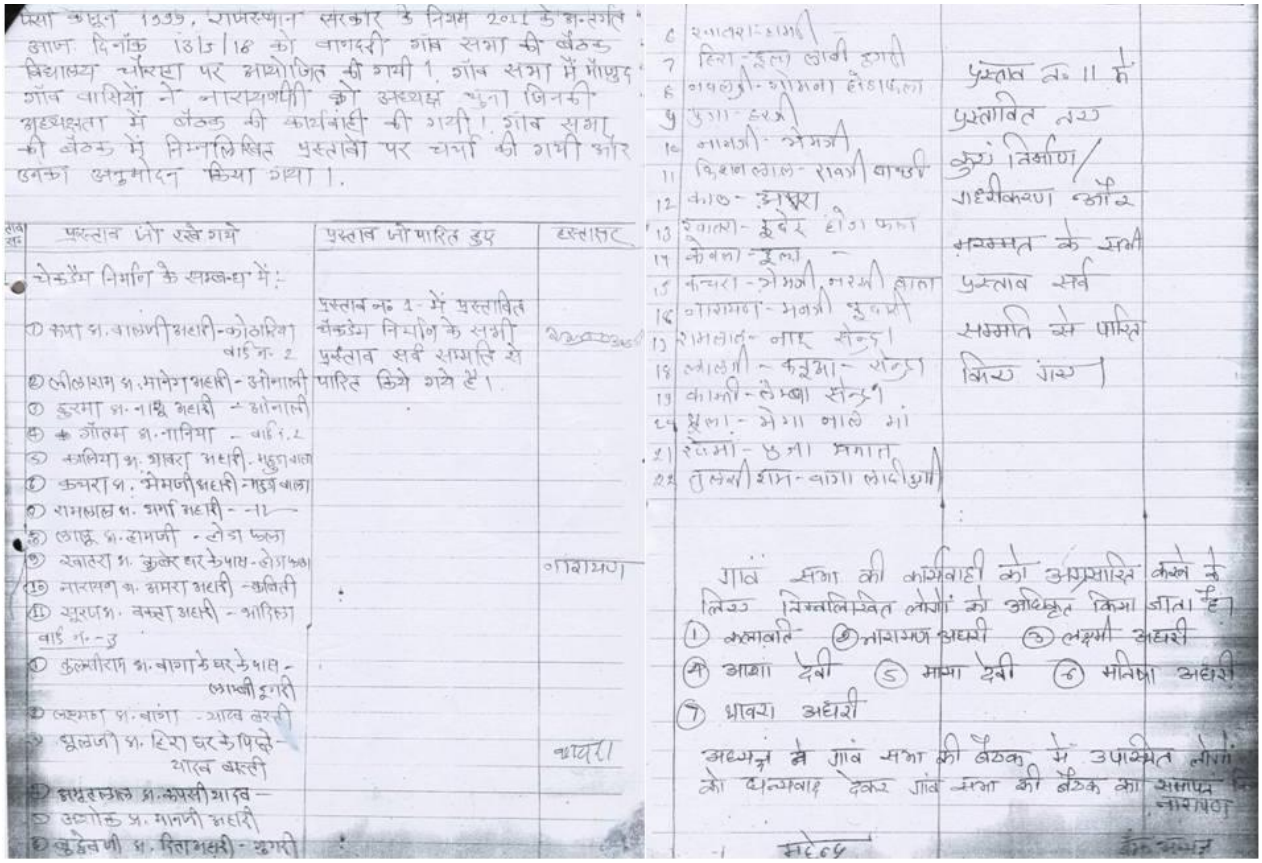

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)-

1. कलावती अहारी
2. सुरता अहारी
3. महेन्द्र कुमार 08290075382
4. पंकज यादव 09829903122